न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 44 / 2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. राजेन्द्र कुमार बिडला पुत्र स्व. रतन लाल बिडला मैसर्स बिडला ब्रदर्स गोदाम नं. 05 कृषि उपज मण्डी भीलवाडा
— प्रार्थी		**——विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित

2 श्री सुनील मण्डोवरा अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.09.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प—1(2)कार्मिक / क—4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी राजेन्द्र कुमार बिडला पुत्र स्व. रतन लाल बिडला मैसर्स बिडला ब्रदर्स गोदाम नं. 05 कृषि उपज मण्डी भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (Dolly Brand) इत्यादि का विकय कर रहा था। राजेन्द्र कुमार बिडला पुत्र स्व. रतन लाल बिडला मैसर्स बिडला ब्रदर्स गोदाम नं. 05 कृषि उपज मण्डी भीलवाडा का विकेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (Dolly Brand) के 700—700 ग्राम की कुल 80 सील्ड प्लास्टिक बोतल रिफाईण्ड सोयाबीन तेल रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 20,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति जरिये चालान जमा करा चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि निर्णयानुसार विपक्षी से शास्ति राशि निर्धारित बजट हैड में जमा कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
2. श्री राजेन्द्र कुमार बिडला पुत्र स्व. रतन लाल बिडला मैसर्स बिडला ब्रदर्स गोदाम नं. 05 कृषि उपज मण्डी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा